भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3793
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन

3793 डा. अशोक कुमार मित्तल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषदों की स्वतंत्रता पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या सरकार ने संशोधनों को अंतिम रूप देने से पहले विधिक पेशेवरों और बार एसोसिएशनों से परामर्श किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) वकीलों के हड़ताल करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने और ऐसे परिवर्तन प्रस्तावित करने के क्या तर्काधार हैं जो उनकी स्वायत्तता को प्रभावित कर सकते हैं ; और

(घ) आवश्यक सुधारों को विधिक पेशेवरों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और न्याय तक निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने के साथ संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत सरकार ने, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधनों का प्रस्ताव किया है और तारीख 13 फरवरी, 2025 को जन परामर्श के लिए, प्रारूप अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 प्रकाशित किया । मुख्य परिवर्तनों में, सलाहकारी बोर्ड, विधिज्ञ संगम, विधिज्ञ परीक्षा, विधिक शिक्षा केन्द्र, जैसे नए विधिक निबंधनों को परिभाषित करना सम्मिलित है । बहु धाराओं, जिनमें धारा 3, धारा 4, धारा 6, धारा 7, धारा 9क, धारा 24, धारा 49 और धारा 49क भी हैं, में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है । इसके अतिरिक्त, पुराने संक्रमणकालीन उपबंधों को अधिनियम को आधुनिक बनाने तथा सरल बनाने के लिए हटा दिया गया था । विभाग ने, उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं का समाधान करने, विधि व्यवसाय में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाने तथा विकसित भारत में भारतीय विधिज्ञ परिषद् की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों को समाविष्ट किया है । तथापि, परामर्श प्रक्रिया समाप्त हो गई है, और प्राप्त फीड बैक के आधार पर, यथा पुनरीक्षित प्रारूप विधेयक पर पणधारियों के परामर्श के लिए नए सिरे से प्रक्रिया की जाएगी ।

(ख) : सरकार, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधनों का प्रस्ताव करने से पूर्व भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) के साथ चर्चा में लगी हुई थी । इसके बाद, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप जनता के परामर्श के लिए विधि कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड़ कर दिया गया था ।

(ग) : यह उनके समक्ष मामले में शीर्ष न्यायालय के संप्रेक्षणों/ विनिश्चय पर आधारित था । तथापि, क्योंकि प्रस्तावित संशोधनों के लिए परामर्श प्रक्रिया समाप्त हो गई है, इसलिए पुनरीक्षित प्रारूप विधेयक पर परामर्श के लिए नए सिरे से प्रक्रिया की जाएगी ।

(घ) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य, विधि व्यवसाय को आधुनिक बनाना, अभिगम्यता को बढ़ाना, तथा इसकी स्वतंत्रता को परिरक्षित करते हुए वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना है । केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात् इन संशोधनों को पुर:स्थापित किया । तथापि, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने ऐसी चिंताएं जताई हैं, जो परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करने के विनिश्चय को बढ़ावा देती है । प्राप्त फीडबैक के आधार पर, यथा पुनरीक्षित प्रारूप विधेयक पर पणधारियों के साथ परामर्श के लिए नए सिरे से प्रक्रिया की जाएगी ।

****